[2022] 3 एससीआर 323

इंद्रेश कुमार मिश्रा और अन्य।

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2217-2218/2022)

13 अप्रैल 2022

[एम. आर. शाह एवं बी. वी. नागरत्न, न्याया.]

सेवा कानून : स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति – पात्रता मानदंड – झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए – इतिहास विषय हेतु नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड 50% अंकों के साथ इतिहास विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखी गई— चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के समय, यह पाया गया कि उनकी डिग्री इतिहास की किसी एक शाखा में है, समग्र इतिहास में नहीं - उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई - उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी - अपील पर कहा : इतिहास की किसी एक शाखा में डिग्री ग्राप्त करने का

तात्पर्य यह नहीं है कि समग्र इतिहास में डिग्री प्राप्त कर ली - इतिहास के शिक्षक को इतिहास की सभी शाखाएं पढ़ानी होती है, विशेषज्ञ समिति ने भी यही राय दी कि संबंधित उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की एक शाखा में डिग्री प्राप्त की है, उसे समग्र इतिहास में डिग्री प्राप्त करना नहीं माना जा सकता और इसलिए वे विज्ञापन के अनुरूप योग्यता नहीं रखते – न्यायालय साधारणतया शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ का स्थान नहीं ले सकता, इसलिए कोई छात्र/उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखता है या नहीं, यह निर्णय शैक्षिक संस्थानों पर छोड़ देना बेहतर होगा विशेष रूप से तब, जब विशेषज्ञ समिति ने इस मामले पर विचार किया हो – अपीलकर्ताओं की उम्मीदवारी को इस आधार पर ठीक ही रद्द कर दिया गया कि उनके पास शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानों के पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

अपीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि-

1. संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की किसी एक शाखा जैसे भारतीय प्राचीन इतिहास; भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति; मध्यकालीन / आधुनिक इतिहास; भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इतिहास की किसी एक शाखा में डिग्री प्राप्त करना, समग्र इतिहास

में डिग्री प्राप्त करना नहीं होता। इतिहास के शिक्षक के रूप में, उसे इतिहास की सभी शाखाओं अर्थात् प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन / आधुनिक इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व आदि सब कुछ पढ़ाना होता है। इसिलए, इतिहास की केवल एक शाखा का अध्ययन करने और डिग्री प्राप्त कर लेने मात्र से इसे समग्र इतिहास विषय में डिग्री प्राप्त करना लेना नहीं कहा जा सकता, जैसा कि विज्ञापन में आवश्यक था। एकल न्यायाधीश द्वारा सभी संगत पहलुओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया है और विस्तार से विचार किया गया है। [पैरा 6, 6.1] [333-डीजी]

2. यहां तक कि जे.एस.एस.सी. के अनुरोध पर विशेषज्ञ सिमिति ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा इतिहास की किसी एक शाखा में प्राप्त डिग्रियों को विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के अनुरूप माना सकता है और इसे 'इतिहास' में डिग्री प्राप्त करना कहा जा सकता है? विशेषज्ञ सिमिति ने इस पर विचार किया और राय दी कि संबंधित उम्मीदवारों/ याचिकाकर्ताओं द्वारा इतिहास की किसी एक शाखा में प्राप्त डिग्रियों को समग्र इतिहास में डिग्री प्राप्त

करना नहीं कहा जा सकता है और इसलिए उन्हें विज्ञापन के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं माना जा सकता। कानून की स्थापित धारणा के अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में कोई न्यायालय विशेषज्ञ के रूप में सामान्य रूप से निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए किसी छात्र/ अभ्यर्थी के पास अपेक्षित अर्हता है या नहीं, यह निर्णय शैक्षिक संस्थाओं पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए विशेषकर तब, जब विशेषज्ञ समिति मामले पर विचार कर रही हो। [पैरा 6.4, 6.5] [334-बी- डी]

3. इस मामले में, विज्ञापन में आवश्यक शैक्षिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। विज्ञापन में जिस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे (इतिहास/ नागरिक शास्त्र), तथा जिस शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया गया है, उसमें कोई अस्पष्टता और/ या भ्रम नहीं है। विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से कोई विचलन संभव नहीं है। जब यह पाया गया कि संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं- अपीलकर्ताओं के पास विज्ञापन के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं है, अर्थात् इतिहास में स्नातकोत्तर/ स्नातक की डिग्री नहीं है जैसा कि विज्ञापन में अपेक्षित है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। झारखंड

उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ तथा खंडपीठ दोनों ने इसमें हस्तक्षेप करने से इंकार करके ठीक ही किया है। [पैरा 6.6] [334-ईजी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2217-2218/2022 एलपीए संख्या 796/2019 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.06.2020 तथा एलपीए संख्या 826/2019 में दिनांक 15.06.2020 को पारित आदेश।

-साथ ही-

सिविल अपील संख्या 2220, 2219 और 2221/2022

श्रीमती वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक कौशिक, चेतन जोशी, सुश्री स्वाति पी. रॉय, राज राजेश्वरन एस., एम. योगेश कन्ना, नरेंद्र कुमार वर्मा, विकास त्रिपाठी, सुश्री मांडवी पांडे, पुलिकत श्रीवास्तव, अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से सुनील कुमार, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, विष्णु शर्मा, अभिषेक, श्रीमती अनुपमा शर्मा, सुश्री श्रेया सिंह, कबीर दीक्षित, सुश्री रोहिणी प्रसाद, प्रशांत भूषण, अनिलेंद्र पांडेय, सुश्री एलिस राज, ब्रजेश पांडे, मुकेश तिवारी, शैलेंद्र चौधरी, हितेश कुमार शर्मा, एस.के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, ई. विनय कुमार, नरेश कुमार।

एम. आर. शाह, न्याया. द्वारा पारित न्यायालय का निर्णय

- 1. एल.पी.ए. संख्या 796/2019 और 826/2019 में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से, जिसमें खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित निर्णयों और आदेशों की पृष्टि कर दी, व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।
- 1.1 वर्तमान अपीलें दो तरह की हैं। सिविल अपील संख्या 2217-2218/2022, सिविल अपील संख्या 2219/2022 और सिविल अपील संख्या 2221/2022 उन रिट याचिकाकर्ताओं की हैं, जिन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था, जबिक सिविल अपील संख्या 2220/2022 उन मूल रिट याचिकाकर्ताओं की है, जिन्होंने इतिहास/नागरिक शास्त्र विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था।
 - 2. इन अपीलों से संबंधित तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं: -

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में तथ्य

- 2.1 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने दिनांकित 24.07.2017 पत्र के द्वारा नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न विषयों के लिए झारखंड राज्य के उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखंड सरकार की मांग अग्रेषित की।
- 2.2 अनुरोध प्राप्त होने के बाद, जेएसएससी ने झारखंड राज्य में विभिन्न विषयों- रसायन विज्ञान, भौतिकी, इतिहास आदि में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों (पीजीटीटी) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की। तदनुसार, विज्ञापन संख्या 10/2017 जारी किया गया जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए ताकि उनकी उम्मीदवारी पर चयन हेतु विचार किया जा सके। विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न विषयों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद के लिए एक संयुक्त विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन में वेतनमान और पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया।

विज्ञापन के अनुसार, इतिहास विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद के लिए पात्रता मानदंड यह था कि उम्मीदवार को संबंधित विषय (इतिहास) में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हो।

2.3 संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन के अनुसार, उक्त पदों के लिए आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उन सभी ने अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए और अपने फॉर्म में, उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के रूप में हिंदी में स्नातकोत्तर का उल्लेख किया। उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमित दी गई और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें सफल भी घोषित किया गया। परीक्षा का परिणाम के प्रकाशित होने के बाद, सफल उम्मीदवारों को अपने प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराना आवश्यक था। प्रमाणपत्रों के सत्यापन के समय, संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने स्नातकोत्तर डिग्री के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। तब यह पाया गया कि संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से मध्यकालीन इतिहास; प्राचीन इतिहास; प्राचीन इतिहास और संस्कृति; प्राचीन इतिहास, संस्कृति और प्रातत्व आदि में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है, न कि इतिहास विषय में, जैसा कि विज्ञापन में मांगा गया था। पाया गया कि संबंधित याचिकाकर्ताओं के पास इतिहास की किसी एक शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री थी, समग्र इतिहास विषय

में नहीं। अतः जेएसएससी द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि क्यों नहीं उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, क्योंकि वे "इतिहास" विषय में कला स्नातकोत्तर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

- 2.4 कुछ रिट याचिकाकर्ताओं ने उसी समय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं और कुछ उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी रद्द होने के बाद रिट याचिकाएं दायर कीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उनकी संबंधित रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मूल रिट याचिकाकर्तागण इतिहास विषय में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में चयन और नियुक्ति के लिए योग्य नहीं थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि केवल वे उम्मीदवार, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार "इतिहास" विषय में विशेष रूप से डिग्री प्राप्त की है, वे ही उक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।
- 2.5 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एलपीए दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस एलपीए को खारिज कर दिया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों की पृष्टि की, जिसमें रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। उसी कारण से सिविल अपील

संख्या 2217-2218/2022, सिविल अपील संख्या 2219/2022 और सिविल अपील संख्या 2221/2022 दायर की गई है।

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में तथ्य

2.1.1 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने दिनांक 23.09.2016, 04.11.2016 एवं 02.02.2017 के पत्रों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने हेतु जे.एस.एस.सी. को अधियाचना भेजी। अधियाचना प्राप्त होने के बाद, जे.एस.एस.सी. ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की और तदनुसार सामान्य स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। विज्ञापन संख्या 21/2016 प्रकाशित किया गया जिसमें पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए, तािक विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके। विज्ञापन के अनुसार, इतिहास/नागरिक शास्त्र के पद के लिए पात्रता मानदंड ''इतिहास और राजनीित विज्ञान में स्नातक'' तथा दो विषयों में से किसी एक विषय में 45 प्रतिशत अंक और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. अथवा

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से बी.एड. आवश्यक था। एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक ही आवश्यक थे।

- 2.1.2 संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने 'इतिहास और नागरिक शास्त्र' विषय के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (जी.टी.टी.) के पद नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए। उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक अंकित किया।
- 2.1.3 ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा की गई घोषणा के आधार पर, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमित दी गई और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सफल भी घोषित किया गया। परिणाम के प्रकाशन के बाद, सफल उम्मीदवारों को प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया।

प्रमाणपत्रों के सत्यापन की तिथि को, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने स्नातक डिग्री के अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। यह पाया गया कि उनके पास जो डिग्री है, वह विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राचीन इतिहास; प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व और मध्यकालीन इतिहास आदि में स्नातक की डिग्री है, न कि 'इतिहास' में, जैसा कि विज्ञापन में मांग की गई थी। इसलिए, यह पाया गया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास समग्र 'इतिहास' विषय के स्थान पर इतिहास विषय की किसी एक शाखा में स्नातक की डिग्री है और इसलिए, वे इतिहास विषय और नागरिक शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पास विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता है।

- 2.1.4 उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि क्यों न उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए क्योंकि उनके पास विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं है और इसलिए वे इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं हैं।
- 2.1.5 उस स्थित में और उनकी उम्मीदवारी रद्द होने के बाद, संबंधित याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार करते हुए और मानते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया कि किसी विषय अर्थात् इतिहास की किसी एक शाखा में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना, समग्र 'इतिहास' विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता और इसलिए, वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हैं क्योंकि विज्ञापन के अनुसार इसे अपेक्षित योग्यता नहीं कहा जा सकता है।

- 2.1.6 रिट याचिकाओं को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एल.पी.ए. दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णयों और आदेशों के द्वारा उक्त एल.पी.ए. को खारिज कर दिया है। इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने यह सिविल अपील संख्या 2220/2022 इस न्यायालय में दायर की है।
- 3. संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होकर विद्वान अधिवक्तागण श्रीमती वी. मोहना, विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता और सुश्री मांडवी पांडेय ने जोरदार ढंग से निवेदन किया कि विज्ञापन ही अपने आप में भ्रामक थे। उन्होंने कहा कि जहां तक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का संबंध है, विज्ञापनों में इतिहास/नागरिक शास्त्र शब्द का उल्लेख किया गया है।
- 3.1 आगे निवेदन किया गया है कि इस तरह मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पास संबंधित विषय (इतिहास और राजनीति विज्ञान) में स्नातक डिग्री है, और इस प्रकार उनके पास निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। यह भी निवेदन किया गया है कि जिस पद को भरा जाना था और उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपेक्षित योग्यता यही थी कि न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ

संबंधित विषय में स्नातक हो। सभी याचिकाकर्ताओं ने भारतीय प्राचीन इतिहास; भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति; मध्यकालीन / आधुनिक इतिहास; भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व आदि में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है जो इतिहास विषय में ही विशेषज्ञता का संकेत देती है। आगे निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने जिन विषयों में डिग्री प्राप्त की है, वह "इतिहास" ही है। फिर निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई में राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन किया है। इसलिए, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज नहीं करना चाहिए था कि उनके पास विज्ञापन के अनुसार आवश्यक योग्यता नहीं है।

3.2 आगे निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है कि जहां तक जी.टी.टी. उम्मीदवारों का संबंध है, उनकी शैक्षिक योग्यता पर विचार करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि विशेषज्ञ समिति ने केवल संबंधित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री पर ही विचार किया, जिन्होंने पीजीटीटी (इतिहास) के पद के लिए आवेदन किया था।

- 3.3 आगे यह निवेदन किया गया है कि यहां तक कि तथाकथित सिमिति में केवल स्थानीय संस्थान और झारखंड राज्य के व्यक्ति शामिल थे। जी.टी.टी. उम्मीदवारों के मामले में तथाकथित विशेषज्ञ सिमिति का गठन भी नहीं किया गया और इस सिमिति ने केवल पीजीटीटी उम्मीदवारों के मामलों पर ही विचार किया।
- 3.4 याचिकाकर्ताओं (जीटीटी उम्मीदवारों) की ओर से पेश विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मोहना ने आगे निवेदन किया है कि जीटीटी के मामले की तुलना पीजीटीटी उम्मीदवारों के साथ नहीं की जा सकती। यह भी निवेदन किया गया है कि दोनों में न्यूनतम पात्रता पूरी तरह से भिन्न थी। पी.जी.टी.टी के लिए आवेदन उम्मीदवारों को केवल "इतिहास" पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया था और संबंधित विषय में डिग्री की मांग की गई थी। दूसरी ओर, जी.टी.टी. उम्मीदवारों को "इतिहास/नागरिक शास्त्र" पढ़ाना था और दोनों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता भी अलग-अलग है।
- 3.5 यह आगे निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए कि इसी प्रकार के पिछले विज्ञापनों में, इसी प्रकार की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया था और वे काम भी कर रहे हैं।

- 3.6 आगे निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अन्य राज्य और उनकी संस्थाएं संबंधित पद/विषय के लिए याचिकाकर्ताओं के पास मौजूद डिग्रियों को मान्यता देती हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय भी, जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास / प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व / मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को जी.टी.टी. (इतिहास) के पद पर नियुक्त करता है, अभ्यर्थियों की ऐसी डिग्रियों पर कोई आपित्त नहीं करता। माध्यमिक स्तर पर, सामाजिक अध्ययन जैसा कोई समग्र विषय नहीं होता। माध्यमिक स्तर केवल दसवीं कक्षा तक है, जिसमें सामाजिक अध्ययन एक विषय है।
- 3.7 आगे निवेदन किया गया है कि संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में यह स्पष्ट किया हुआ होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास / प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व / मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास इतिहास का एक अभिन्न अंग है और एक विषय के रूप में इतिहास के बराबर है। उक्त विषय "इतिहास" विषय के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार, संबंधित उम्मीदवार इतिहास/नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए पात्र हैं।

3.8 आगे यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ठीक से नहीं समझा है कि विभिन्न विषयों में स्नातक डिग्री प्रदान करने के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों में एकरूपता नहीं है। कुछ विश्वविद्यालय इस विषय में ही कला स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं जैसे- इतिहास में स्नातक और कुछ विश्वविद्यालय विशेषज्ञता दर्शाते हुए इतिहास की संबंधित शाखा में ही स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं जैसे- मध्यकालीन इतिहास में स्नातक, प्राचीन इतिहास में स्नातक आदि। इतिहास की विभिन्न संबंधित शाखाओं में विभिन्न विशेषज्ञताओं को इंगित करने वाली इन सभी डिग्रियों को "इतिहास" विषय से अलग-थलग नहीं माना जा सकता है।

3.9 श्रीमती मोहना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिट याचिका संख्या 1130/ 2017- हिर शर्मा और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि वह विज्ञापन और वह पद, "इतिहास / नागरिक शास्त्र" के संबंध में विज्ञापन संख्या 21/2016 में "इतिहास/नागरिक शास्त्र" के लिए जीटीटी के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता अनुचित, भेदभावपूर्ण और अवैध है और यह झारखंड नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध है। आगे निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त निर्णय में,

विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूरे विज्ञापन संख्या 21/2016 को, विशेष रूप से गंभीर विसंगतियों, गलितयों और लेखन त्रुटियों के कारण "इतिहास/नागरिक शास्त्र" के विषय हेतु जारी पदों को भी रद्द कर दिया। हालांकि, श्रीमती मोहना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ, एक अपील दायर की गई है, जो लंबित है तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर रोक लगा दी गई है।

3.10 जीटीटी अभ्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान विष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मोहना, द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के अलावा, पीजीटीटी की ओर से पेश हुई विद्वान अधिवक्ता सुश्री मांडवी पांडेय ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि जिन विश्वविद्यालयों से उन्होंने अध्ययन किया है और इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, वहां इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इतिहास की किसी एक शाखा में ही डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री और इतिहास में कला स्नातक की डिग्री, दोनों अलग-अलग चीजें हैं और इनकी बराबरी और/या तुलना नहीं की जा सकती है।

- 4. जे.एस.एस.सी. की ओर से पेश विद्वान विष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील कुमार और झारखंड राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु शर्मा ने इन सभी अपीलों का विरोध किया। इन अपीलों का विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा ने भी विरोध किया है, जो उनकी ओर से उपस्थित हुए जो लोग पहले से नियुक्त और तैनात हैं।
- 4.1 संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से जोरदार ढंग से निवेदन किया गया है कि नियमावली के नियम 50 के अनुसार विज्ञापन जारी किया गया और विशेष रूप से नियम 9 पर विचार करते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के अनुसार, आवश्यकता विशिष्ट थी- "इतिहास/नागरिक शास्त्र" का संयोजन (जीटीटी पद के लिए)।
- 4.2 राज्य सरकार के पक्ष के अनुसार, इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए एक ही शिक्षक की आवश्यकता है। इसलिए, आवश्यकता विशिष्ट थी "इतिहास / नागरिक शास्त्र"। विज्ञापन के अनुसार, पीजीटीटी तथा जीटीटी दोनों पदों के लिए उम्मीदवार को 'इतिहास' में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और जीटीटी पद के लिए राजनीति विज्ञान के साथ किसी एक विषय में 45 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए, समग्र इतिहास विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य

है। जी.टी.टी पद के लिए, उम्मीदवारों के पास राजनीति विज्ञान में भी डिग्री होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, यह माना हुआ तथ्य है कि किसी भी उम्मीदवार/रिट याचिकाकर्ता के पास समग्र इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि उन्होंने इतिहास की केवल एक शाखा जैसे भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन/आध्निक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व आदि में अध्ययन किया है और स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जिसे इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता, जैसा कि आवश्यक था। जे.एस.एस.सी. के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया था और उस समिति ने राय दी कि संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई डिग्री को "इतिहास" विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करना/होना नहीं कहा जा सकता। यही दृष्टिकोण इतिहास में स्नातक डिग्री के संबंध में भी लागू होता है। इसलिए, एक ही सादृश्य दोनों पर लागू होता है - इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री और इतिहास में स्नातक डिग्री।

4.3 उत्तरदाताओं की ओर से, जिनमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें पहले ही निय्क्त किया जा चुका है, पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है, कि केवल उन उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति की गई है, जिनके पास इतिहास में डिग्री थी। श्री सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने पक्षकारों की ओर से पेश होकर प्रस्तुत किया कि पहले से नियुक्त उम्मीदवार केवल वे हैं, जिनके पास इतिहास में स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री थी, इतिहास की किसी एक शाखा में नहीं।

- 4.4 उपरोक्त निवेदन करते हुए, तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इस आधार पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है कि उन्हें विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं कहा जा सकता है।
- 5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।
- 6. सबसे पहले, इस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान अपीलों में विवाद इतिहास में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक और इतिहास/नागरिक शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जैसे पदों के संबंध में है। राज्य के अनुसार, जहां तक जी.टी.टी. का संबंध है, आवश्यकता इतिहास/नागरिक शास्त्र के संयोजन वाले विषय की थी। विज्ञापन के अनुसार, उम्मीदवार के पास इतिहास विषय में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री होनी

चाहिए। जहां तक जीटीटी का सवाल है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 'इतिहास' के साथ-साथ राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री थी, क्योंकि आवश्यकता इतिहास/नागरिक शास्त्र के शिक्षक की थी। इसलिए, दोनों पदों अर्थात् स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (इतिहास) और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (इतिहास) और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (इतिहास / नागरिक शास्त्र) के लिए, एक उम्मीदवार के पास समग्र रूप से 'इतिहास' में स्नातकोत्तर / स्नातक की डिग्री ही होनी चाहिए।

6.1 हमने संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में डिग्री/प्रमाण पत्र का अध्ययन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की किसी एक शाखा जैसे- भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन / आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व आदि में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री प्राप्त की है। हमारे विचार में, इतिहास की किसी एक शाखा में डिग्री प्राप्त करना समग्र इतिहास में डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता। एक इतिहास शिक्षक के रूप में, शिक्षक को इतिहास के सभी सभी शाखाएं जैसे- प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन / आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व आदि पढ़ाना होता है। इसलिए, इतिहास की केवल एक शाखा में अध्ययन करने और डिग्री प्राप्त करने के बाद

इसे समग्र इतिहास विषय में डिग्री होना नहीं कहा जा सकता, जो कि विज्ञापन की अनिवार्य आवश्यकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सभी संगत पहलुओं पर विचार किया गया है और विस्तार से विचार किया गया है।

अब, जहां तक रिट याचिका संख्या 1130/2017- हिर शर्मा और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भरता का संबंध है, ध्यातव्य है कि अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय पर खंडपीठ द्वारा रोक लगा दी गई है और निर्णय लंबित है। यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उक्त रिट याचिका में विवाद संयुक्त पद अर्थात् "इतिहास/नागरिक शास्त्र" के संबंध में था और वर्तमान मामले की तरह उसमें कोई विशिष्ट विवाद नहीं था।

- 6.3 यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विज्ञापित सभी पदों पर भर्ती हो चुकी है और नियुक्त शिक्षक कार्य कर रहे हैं।
- 6.4 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जे.एस.एस.सी. के अनुरोध पर इस बात पर कि क्या संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा इतिहास की किसी एक शाखा में प्राप्त की गई डिग्री को विज्ञापन के अनुसार पर्याप्त योग्यता कहा जा सकता है, और इसे इतिहास में डिग्री प्राप्त करना कहा जा सकता है- विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया और समिति

ने राय दी कि संबंधित उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं द्वारा इतिहास की किसी एक शाखा में प्राप्त की गई डिग्री को समग्र इतिहास में डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके पास विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता है।

6.5 कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई न्यायालय सामान्यतया विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं कर सकता, और इसलिए किसी छात्र/उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं, इसे शैक्षणिक संस्थानों पर ही छोड़ देना चाहिए, खासकर तब, जब विशेषज्ञ समिति मामले पर विचार कर रही हो।

6.6 इस मामले में, विज्ञापन में आवश्यक शैक्षिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। विज्ञापन में जिस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे (इतिहास/नागरिक शास्त्र), तथा जिस शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया गया है, उसमें कोई अस्पष्टता और/या भ्रम नहीं है। विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से कोई विचलन संभव नहीं है। जब यह पाया गया कि संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं के पास विज्ञापन के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं है, अर्थात् इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री नहीं है जैसा कि विज्ञापन में अपेक्षित है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ तथा खंडपीठ दोनों ने इसमें हस्तक्षेप करने से इंकार करके ठीक ही किया है। हम उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

- 6.7 जैसा कि ऊपर कहा गया है, संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदनों में कहा गया था कि उनके पास इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री है और दस्तावेजों के सत्यापन के समय, जब संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए, तब जाकर अधिकारियों को पता चला कि संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं के पास इतिहास की किसी एक शाखा में डिग्री है न कि समग्र इतिहास में और इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए ताकि संबंधित याचिकाकर्ता स्पष्ट कर सकें और संतुष्ट हो सकें कि उनके पास इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री की अपेक्षित योग्यता है और उन्हें पर्याप्त अवसर देने के बाद यह निर्णय लिया गया है और वह भी विशेषज्ञ सिमित की राय प्राप्त करने के बाद।
- 7. उपरोक्त बातों के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णयों और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते, जिसकी पृष्टि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा

की गई है। संबंधित याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी/चयन को इस आधार पर रद्द किया जाता है कि उनके पास विज्ञापन संख्या 21/2016 और 10/2017 के अनुसार इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री के पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

उपर्युक्त के मद्देनजर, और ऊपर बताए गए कारणों से, सभी अपीलें विफल हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं और इसलिए वे खारिज की जाती हैं। हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागत के लिए कोई आदेश नहीं है।

देविका गुजराल

अपील खारिज।

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में अनूदित निर्णय का उपयोग इतना ही है कि वादी इसे अपनी भाषा में समझ सके। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक कार्यों में तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Page 26 of 26